मु.नं.–59 / 2021 GCMS ID-2021/101 ता.रजु–13.07.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रोहित रैकनोत पता G/2/IV, ICE House, 41A, मसून रोड, पुणे (महाराष्ट्र) – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 28.07.21, 05.08.21, 12.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर अप्रेल 2019 से आवेदन दिनांक जिला कलक्टर कार्यालय में आर्म्स एक्ट के तहत लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्राप्त कुल आवेदन, आवेदकों के नाम, पता व जाति सहित विवरण; प्रतिवर्ष जारी लाईसेन्सों की संख्या, लाईसेन्स धारकों के नाम, पता व जाति का विवरण; सभी आवेदकों में लाईसेन्स जारी नहीं होने वाले आवेदकों की संख्या, नाम, पता व जाति का विवरण; आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेन्स जारी न करने का आधार क्या है? आपके कार्यालय व सरकार के नियमों की प्रति आदि कुल 18 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 1 से 8 तक की बिन्दुबार सूचना 6 पृष्ठों में अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं विनिश्चय से अवगत करवाया जा चुका है। बिन्दु संख्या 9 से 13 तक की सूचना के संदर्भ में किस श्री बैरवा का उल्लेख किया गया है, स्पष्ट नाम अंकित नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है। बिन्दु संख्या 14 से 18 तक की सूचना के लिये लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली को आवेदन अंतरित कर दिया गया है। अतः उनके कार्यालय स्तर से अपील को निस्तारित फरमाया जावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 से 13 के संदर्भ में 6 पृष्ठीय सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं बिन्दुबार से अवगत करवाया जा चुका है। बिन्दु संख्या 14 से 18 तक की सूचना के लिये लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली को आवेदन अंतरित कर दिया गया है। अतः प्रत्यर्थी के कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली को आदेश दिये जाते हैं कि वे बिन्दु संख्या 14 से 18 तक की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाते हुए प्रति इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली